कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही

पत्र संख्या बीडा/नियोजन–5/ (   )/भ0मा0/13612   दिनांक 21-12-24

गृह निर्माणार्थ अनुमति पत्र

सेवा में,

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही।

रजपुरा आवासीय योजना फेज–2 भदोही के **व्यावसायिक भूखण्ड** पर **व्यावसायिक (सिया काम्पलेक्स)** के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तो पर आपके प्रस्तावित मानचित्र पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

1. यह अनुमति उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1976 की धारा 9 एवं इसके साथ पठित भदोही औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली 2014 के अन्तर्गत दी जाती है किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित सिया काम्पलेक्स का मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।
2. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र से स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करांना अनिवार्य होगा जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
3. स्थल पर नियमानुसार वृक्ष लगाने होगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग तथा निर्माण स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
5. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. मानचित्र की स्वीकृति की वैधानिक्ता मात्र पॉच वर्ष की अवधि के लिए है।
7. भवन निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क अथवा नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गयी हो,) को हानि पहूचे

तो गृह स्वामी सिया काम्पलेक्स तैयार हो जाने के 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अथवा जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, मे कर देगा।

8. सियाः काम्पलेक्स निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रीक सिटी 1956) नियम 82 का उलंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाए गये तो ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

9. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को व्यावसायिक भवन की नींव तथा छत तक बन जाने एवं पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद हो जाने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

10. स्वामी को नियमानुसार बीडा को सिया काम्पलेक्स के पूर्ण हो जाने की सूचना सिया काम्पलेक्स समय सीमा के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अन्दर देना होगा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा।

11. स्वीकृति के अनुसार ही निर्माण एवं उपभोग करना होगा।

12. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं कराना होगा।

13. लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एन0ओ0सी0 मे उल्लिखित राज्य मार्ग या राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर 60 फीट एवं 05 फीट कुल 65 फीट को छोड़ते हुए निर्माण किया जाये।

14. आप द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि पुराना निर्माण गिराकर नये नक्शे के अनुसार निर्माण करेगे, उसका आपको पालन करना होगा।

15. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सिया काम्पलेक्स मानचित्र की द्वितीय प्रति स्वीकृत होने के 06 वर्ष बाद उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

21-12-24
अधिशासी अभियन्ता